रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253120
CG-DL-E-16032024-253120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 198] | नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945 |
| No. 198] | NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945 |

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

**सा.का.नि. 212(अ).—**मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2022 के प्रारूप को मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57(अ), तारीख 19 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 23 जनवरी, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप-धारा (4) और धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य)

संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021** (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 5 में -

(क) उप-नियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

" (ख) इकाई को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा को स्थापित करने का आशय है।"

(ख) उप-नियम (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होगी या संचालन शुरू होने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।"

(ग) उप-नियम (ज) में, " ओरेंज श्रेणी" शब्द का विलोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (5) का विलोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम (10) में

(क) उप-नियम (1) के खंड (viii) में, "रसीद प्राप्त करें" शब्दों के पश्चात्, "(वास्तविक / डिजिटल)" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) के खंड (xii) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उप-नियम (1) के खंड (xiii) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा:

"सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों या किसी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा सौंपे गए जब्त वाहनों के विरूद्ध जारी जमा प्रमाण पत्र पर कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा और ऐसा जमा सीडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होगा।

5. उक्त नियमों के नियम (14) में

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन निर्दिष्ट किसी भी अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के ऑडिट का समय पर करवाना सुनिश्चित करेगा।

(क) नियामक और अनुपालन लेखा परीक्षा; और

(ख) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा प्ररूप-3 में रखे गए मास फ्लो स्टेटमेंट की लेखा परीक्षा।

(ख) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा और इस प्रकार विलांप किए गए उप-नियम (2) के पश्चात्, उसके उप-नियम (3), (4), (5) और (6) को उप-नियम (2), (3), (4) और (5) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के प्ररूप 2 में मद संख्या (1) में

(क) उप-मद (ड.) में, "पैन" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे: -

"या टैन (केवल सरकारी वाहनों के लिए)"।

(ख) उप-मद (च) में, "बैंक खाता" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे: -

"(सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों के लिए, बैंक खाता भारत कोश या संबंधित सरकारी विभाग या निकाय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य खाता हो सकता है।)"

[फा. सं. आरटी-23013/01/2018-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ), तारीख 23 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि 695 (अ), तारीख 13 सितंबर 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2024

**G.S.R. 212(E).—**WHEREAS, draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2024 was published, as required under sub-section ( of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification in G.S.R. 57(E), dated 194h January, 2024 of the Ministry of Road Transport and Highways in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the said notification were made available to the public on the 23rd January, 2024;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect

of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred sub- section (4) of section

59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central

Government hereby makes the following rules further to amend the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, namely:

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Registration and Function s of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, (hereinafter referred as the said rules), in rule 5,-

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

"b) The entity shall have an approval for consent to establish from the Pollution Control Board of the State or Union territory in which the Registered Vehicle Scrapping Facility is intended to be located.";

(b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: "The entity shall have obtained Consent to Operate from Pollution Control Board, or shall have applied for the same, at least 60 days prior to the date of commencement of operations.";

(c) in clause (h), the words "the orange category of" shall be omitted.

3. The sub rule (5) of rule 7 of the said rules, shall be omitted.

4. In rule 10 of the said rules,-

(a) in clause (vii) of sub-rule (1), after the words "obtain a receipt", the words "(physical/ digital)" shall be inserted;

(b) in clause (xii) of sub rule (1), for the words "two years" the words "three years" shall be substituted;

(c) for clause (xiii) of sub rule (1), the following proviso shall be substituted, namely:-

"The Certificate of Deposit shall be electronically tradeable and there shall be no incentives on Certificate of Deposit issued against the Government-owned vehicle or impounded vehicle handed over by an Enforcement agency and such Certificate of Deposit shall not be electronically tradeable.".

5. In rule 14 of the said rules,-

(a) for sub rule (1), the following shall be substituted, namely:

"The Registered Scrapper shall ensure timely conduct of audit of the Registered Vehicle Scrapping Facility by any of the agencies specified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 to undertake,

(a) regulatory and compliance audit and

(b) audit of the mass flow statement as maintained in Form- by the Registered Vehicle Scrapping Facility.";

(b) sub rule (2) shall be omitted and after sub rule (2) as so omitted, sub-rules (3), (4), (5) and (6) thereof shall be renumbered as sub-rules (2), (3), (4) and (5).

6. In FORM 2, item no 1 of the said rules,

(a) in sub-item (E), after the word PAN", the following shall be inserted, namely:-

"or TAN (for Government Vehicles onty)";

(b) in sub-item (F), after the words "Bank Account", the following shall be inserted, namely:-

"(for Government owned vehicles, the bank account may be Bharat Kosh or any other account specified by the concerned Government Department)"

[F. No. RT-23013/01/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 653 (E), dated 23rd September 2021 and lastly amended vide notification number G.S.R. 695 (E), dated 13th September 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA